1. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले यह topic काफी चर्चा में था कि टेक्सटाइल, फुटवेयर, other items जोकि Inverted Duty Structure में आते हैं उन पर GST की टैक्स रेट बढ़ाकर रिफंड का सिस्टम खत्म किया जाएगा. हमारे क्षेत्र में Steel utencils, Umbrella and their parts, Disposable needles इत्यादि इस तरह के कुछ उत्पाद हैं जिन पर inverted duty structure लगता है I Inverted duty structure वह होता है जिसमें input पर GST की दर ज्यादा होती है, परंतु फाइनल product पर जीएसटी की दर कम होती है। यह manufacturer पर ही लागू होता है । इसमें credit बैलेंस में पड़ा रहता है । तथा इस पर डिपार्टमेंट ने रिफंड का प्रावधान भी किया है । अतः जिसके पास credit ज्यादा रहता है वह उसका रिफंड ले सकते हैं. पर यह input services व capital goods पर नहीं मिलता है।

   यह ऑनलाइन रिफंड अप्लाई करना पड़ता है । अब कोरोना के इफैक्ट को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने इस बढ़ाया नहीं है परंतु स्थगित रखा है. अभी इंडस्ट्री यू भी मंदी की मार से चल रही है और GST रेट बढ़ाने जैसा कुछ कदम आग में घी का काम करेगा। इन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने का निर्णय का मना भी नहीं किया गया है परंतु इस को स्थगित कर रखा गया है.

2. अबकी बार मोबाइल फोन पर दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है। परंतु अन्य पर यह निर्णय नहीं लिया गया है । इसे GST Council में ज्यादातर निर्णय आगे के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। जैसे E-invoice जारी करने का नियम है, New return लागू करने का निर्णय, E-wallet को लागू करने का निर्णय, यह ज्यादातर सभी महत्वपूर्ण निर्णय आगे के लिए स्थगित कर दिए गए हैं । इसलिए इसे 'Postpone Meeting' के नाम से भी जाना जा रहा है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21